जारत सरकार भारतीय सेखा तथा सेखा परीक्षा विभाग

Government of India Indian Audit & Accounts Department Principal Accountant General (Audit) Himachal Pradesh-171 003



भारत सरकार भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग महालेखाकार (लेखापिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला-171 003

दिनांक: 09/12/2025

क्र॰स॰/प्रशासन/ले॰प॰/ए॰सीरीज/2026/356

कार्यालय आदेश

विषय: वर्ष 2026 के लिए सरकारी अधिकारियाँ/कर्मचारियाँ के साथ रहने वाले आश्रित माता-पिता, बहन, विधवा बहुन, विधवा बेटी, अवयस्क भाई एवं बच्चों के संबंध में आश्रित घोषणा-पत्र[

केन्द्रीय सेवाएँ (चकित्सा परिचर्चा) नियमायली-1944 के अनुभाग-4 पैरा-2 में निहित अनुदेशों के अंतर्गत इस कार्यालय के सभी अधिकारियाँ/कर्मचारियाँ से अनुरोध किया जाता है कि व चिकित्सा दावाँ, CGHS CARD, LTC/HTC इत्यादि की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से अपने आश्रित माता-पिता, बहन, विधवा बहन, विधवा बेटी, अवयस्क भाई एवं बच्चों के संबंध में आश्रित घोषणा-पत्र निर्धरित प्रपत्र में 15/01/2026 तक इस अनुभाग में प्रस्तुत कर दे| यह घोषणा पत्र 01/01/2026 से 31/12/2026 तक मान्य होगा| आत्रितों के सभी खोतों से मासिक आय र9000/-जमा मूल पेशन पर महंगाई राहत से अधिक ने हो|

Under the instructions contained in Section-4, Para-2 of the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, all officers/employees of this office are requested to submit, in the prescribed format, the Declaration of Dependents in respect of their dependent parents, sister, widowed sister, widowed daughter, minor brother and children for the purpose of reimbursement of medical claims, issuance of CGHS Card, LTC/HTC etc., to this Section by 15/01/2026.

This declaration shall remain valid from 01/01/2026 to 31/12/2026.

The monthly income of the dependents from all sources should not exceed ₹9,000/-.plus

जहाँ पति/पत्नी दोनों राज्य/केन्द्रीय अथवा स्वायत निकाय में कार्यरत है, ये अपने-अपने नियंत्रक अधिकारी के इस आशय का संयुक्त घोषणा-पत्र प्रस्तुत करें कि पत्नी/पति, बच्चे तथा अपने आश्रित पारिवारिक सदस्यों के विकित्सा परिचर्चा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का दाया कौन प्रस्तुत करेगा। यदि पत्नी/पति अपने-अपने चिकित्सा दार्या की प्रतिपूर्ति अपने संबंधित कार्यालय से स्वयं करना चाहता है तो भी एक संयुक्त घोषणा-पत्र इस आशय से प्रस्तुत करें कि वे अपने पत्नी∕पति

के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु दावे प्रस्तुत नहीं करेगें। Where both husband and wife are employed in a State Government, Central Government, or Autonomous Body, they shall submit a joint declaration from their respective controlling authorities indicating which of them will submit the claim for reimbursement of medical expenditure incurred on the treatment of the wife/husband, children, and other dependent family members. If the husband and wife wish to seek reimbursement of their own individual medical claims from their respective offices, they shall still submit a joint declaration stating that they will not submit claims for reimbursement of each other's medical expenses.

वर्ष 2026 के लिए आश्रित घोषणा-पत्र (संलग्न प्रपत्र) में भरकर हकदारी अनुभाग में 15/01/2026 तक प्रस्तुत कर दें, समय-सीमा की समाप्ति के बाद आश्रित प्रमाण-पत्र केवल व॰ उप-महालेखाकार महोदय की स्वीकृति के उपरान्त ही माल्य होगा, अल्यथा आश्रितों से संबंधित चिकित्सा दावों, CGHS CARD, LTC/HTC इल्यादि हेतु स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

Please submit the Dependent Declaration Form (enclosed format) for the year 2026, duly filled in, to the Entitlement Section by 15/01/2026. After the expiry of the deadline, the dependent certificate will be considered valid only after approval of the Deputy Accountant General (Administration). Otherwise, claims related to dependents—such as medical claims, CGHS card, LTC/HTC, etc.-will not be approved.

प्राधिकार: व॰ उप-महातेखाकार (प्रशासन) महोदय के आदेश

टिनांक 08/12/2025

हस्ता -----व॰तेखा परीक्षा अधिकारी. (हकदारी अनुभाग)

दिनांक:09/12/2025

यत्र सं॰/स्या-बिल/ले॰प॰/चिकित्सा/आश्रित-घोषणा-पत्र/2026/653-59 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल द्वारा प्रेषितः

- सचिव प्रधान महालेखाकार
- निजी सहायक व॰ उप-महालेखाकार (प्रशासन)
- 3 निजी सहायक उप-महातेखाकार (ए॰एम॰जी॰-!!)
- निजी सहायक उप-सहालेखाकार (ए॰एस॰जी॰-I)
- 5 निजी सहायक उप-महालेखाकार (ए॰एम॰जी॰-III)

वल्याण अधिकारी

ए॰सीरिज फाईस

I.D.No.	
Mob. No.	

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला -171003

OFFICE OF THE PR.ACCOUNTANT GENERAL(AUDIT)HIMACHAL PRADESH,SHIMLA-171003

विषय: वर्ष 2026 के लिए माता - पिता//अन्य संबन्धियों की आश्रित घोषणा पत्र।

Subject: Declaration of dependency of family member's for the year 2026

कार्यालय आदेश संख्या: हकदारी/ल॰प॰/आश्रित/2026/356 दिनांक 09 /12/2025 के सन्दर्भ में मैं वर्ष 2026 में चिकित्सा/एल॰टी॰सी॰/एच॰टी॰सी॰ में प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु घोषणा करता/करित हूँ कि मेरे माता-पिता/बहन/विधवा बहन/विधवा पुत्री/नाबालिग भाई मुझ पर आश्रित हैं। जिसका ब्यौरा निम्नवत हैं:-

With reference to the office order no.Entt./A/Med./Dependency/2026/356 Dated 09.12.2025. I beg to declare my parents (Father/Mother/Sister/Widowed Daughter/Minor Brother) as dependent upon me for reimbursement medical/LTC/HTC claims in the year 2026.

		री/ कर्मचारी के स	1
क्र॰सं॰	नाम	आयु	सरकारी क्रमचारी के साथ संबंध
.Name of the	e dependent with relation and their a	ge	
Sr.No.	Name	Age	Relation with Government serva
आश्रित सदस्य/	सदस्यों का आवासीय पत्ता		
Normal resid	ential address of dependents		
व्यवसाय			
Occupation of	of dependents		
गृह, भूमि तथा	मूलरूप से संस्वीकृत पैंशन से मासिक आय	(पैंशन	
	था पैंशन राहत बिना)		
sanctioned p	come from house, land and opension (without pension commutations relief)		
without pens कर्तव्य स्थल प	ion relier) ार सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी के स्थानीय	क्षेत्र का	
नाम तथा आवा			
Residential a	ddress of the officer/employee		

6.	यदि आश्रित सदस्य अधिकारी/ कर्मचारी के साथ नहीं रहता /रहतें है	
	तो कारण सहित बताएं कि वह/वे किसके साथ रहतें हैं	
6.	If the dependent family member is not residing with the	
	officer/employee, please state the reason and specify	
	with whom he/she/they is/are residing	
7.	यदि पति/पत्नी नौकरी करते है तो पति/पत्नी का नाम	
7.	If the husband/wife is employed, state the name of the	
	husband/wife	
8.	पति/पत्नी का पदनाम, कार्यालय का नाम तथा पूर्ण डाकखाना	
8.	Designation and Postal Address of the Department	
9	पति/पत्नी का नाम, जो स्वयं, बच्चों तथा आश्रित सदस्य/बहन/विधवा बहन/	
	विधवा पुत्री / नाबालिग भाई/ आश्रित माता-पिता चिकित्सा प्रभारों की प्रतिपूर्ति	
	का दावा प्रस्तुत करूंगा/करुगी।	
9	Name of the spouse who will claim the medical Charges	
	in respect of self, children and dependant Family	
	members	
मैं घो	षणा करता/करती हूँ कि मेरे विवरण तथा अधिकतम जानकारी के अनुसार	उपर्युक्त सुचना सही हैं।
	re declare that I/My wife/husband will claim the medical o	
	r, daughter, minor brother and dependent parents also dec	
the I	pest of my knowledge.	
		_
		भवदीय,
		Yours faithfully,
		हस्ताक्षर
		Signature
	अधिव	nारी/कर्मचारीकानाम <u> </u>
		ame of Employee
		पदनाम
		Designation
		अनुभाग
		Section
	म्ल	।वेतन एवं लेवल
		। वेतन एवं लेवल

पत्नी/पति के हस्ताक्षर Signature of Wife/Husband उक्त घोषणा के मामले में पृथक प्रपत्र प्रयुक्त किया जाए। (In case of Joint Declaration a separate from should be filled)

CERTIFICATE

Certified that I, Shri/Smt.(name)	employed
in	(name of office in which
employed) am not availing of medical r	reimbursement facilities or LTC/HTC
claim in lieu thereof either for myself and	l/or the members of my family from any
(other) source other than under the CS(M	(A) Rules, 1944.
Date:	
	Signature of Govt. Servant
	Concerned with seal